



चित्रकूट-पुलिस



(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एंटी रोमियो टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 31.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एंटी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमैन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारीयाँ दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनांक 31.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गद्दी करने वाले 05 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा तथा 12 अभियुक्तों के विरुद्ध मिनी गुण्डा की कार्यवाही की गयी।

(i).थानाध्यक्ष **भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह** द्वारा अभियुक्त 1. महेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी टिटिहरा रोड भरतकूप 2. अमोल यादव पुत्र रामस्वरूप निवासी भरतकूप थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(ii).प्रभारी निरीक्षक **बरगढ़ श्री राकेश कुमार मौर्य** द्वारा अभियुक्त आनन्द शुक्ला उर्फ कल्लू पुत्र द्वारिका प्रसाद शुक्ला निवासी कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(iii). प्रभारी निरीक्षक **राजापुर श्री मनोज कुमार** द्वारा अभियुक्त 1. नागेन्द्र पुत्र दिनेश सिंह निवासी बरुआ 2. छोटू पुत्र छेदीलाल निवासी चनहट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही तथा अभियुक्त 1.

राकेश सिंह उर्फ दादू सिंह उर्फ लाल सिंह निवासी सगवारा 2. हनुमान सिंह पुत्र वकील सिंह निवासी महुआ थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(iv). प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त 1. देवकमल उर्फ देवा त्रिपाठी पुत्र रेवतीरमण निवासी लोढ़वारा 2. जनक वर्मा पुत्र श्यामलाल निवासी नई दुनिया 3. विजय कुमार गुप्ता निवासी जगदीशगंज 4. तुषार तिवारी पुत्र विनोद तिवारी 5. कमलेश कुमार पुत्र रामखिलावन 6. गोपाल तिवारी पुत्र निरंजन तिवारी 7. विष्णु तिवारी पुत्र महेन्द्र तिवारी 8. हिमांशु पुत्र फूलचन्द्र निवासीगण रामघाट 9. शिवाकान्त सोनी पुत्र नत्थु सोनी निवासी खोही 10. दीपक गुरु पुत्र रामफल निवासी कछार पुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(4). आज दिनांक 31.03.2024 को पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में पुलिस विभाग में अपनी सेवा पूर्ण करने वाले उपनिरीक्षक की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे 30नि0 श्री दिनेश प्रताप सिंह को माला पहनाकर, प्रशस्ति-पत्र एवं उपहार प्रदान कर भावभीनी विदाई दी गयी। इस दौरान सेवानिवृत्त हो रहे उपनिरीक्षक एवं मौके पर उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण को हल्का नास्ता करवाकर मुंह मीठा कराया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे उपनिरीक्षक से कहा गया कि वह घर जाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एवं निरन्तर व्यायाम करते रहें, अपने जीवन का अमूल्य समय विभाग को दिया है, मैं समस्त पुलिस विभाग की ओर से आपके सुखद जीवन एवं परिवार की तरक्की की मनोकामना करता हूँ।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, प्रभारी निरीक्षक एएचटीयू श्री दुर्गविजय सिंह, वाचक श्री पारितोष दीक्षित, प्रधान लिपिक श्री अनिल मोहन शुक्ला, पीआरओ श्री प्रवीण सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में 30नि0 श्री रामकुमार तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1.रामनारायण पुत्र सदाशिव 2. राजू पुत्र कल्लू 3.रामसजीवन 4.राममिलन पुत्र मदन 5. रज्जन पुत्र रामबहादुर 6. झुल्लूराम पुत्र शिवनरेश 7. पृथ्वी राम पुत्र राम बहादुर निवासीगण बीच का पुरवा मानपुर 8. शिवबिलास पुत्र प्रहलाद निवासी खोर का पुरवा भरतकूप 9. संदीप कुमार पुत्र रामप्रताप 10. नत्थु पुत्र शिवलोचन निवासी खरईया का पुरवा भरतकूप थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड 2110/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामातलाशी से 2850/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

- 1.मालफड 2110/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते
- 2.जामातलाशी से 2850/- रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1.30नि0 श्री रामकुमार थाना भरतकूप
- 2.मुख्य आरक्षी वीर सिंह
- 3.आरक्षी विवेक कुमार
- 4.आरक्षी अखिलेश

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वारण्टी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में 30नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता व उनकी टीम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 405/013 धारा 457,380 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त मैकु उर्फ बचनिया उर्फ बच्चन पुत्र रामप्रसाद निवासी तरौहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। ,

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार
- 2.आरक्षी सुरेन्द्र
- 3.आरक्षी इस्लाम

(6). प्रेस नोट:-चित्रकूट पुलिस

10 वारण्टी व 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 10 वारण्टी व 04 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

1.उ0नि0 श्री इमरान खां थाना राजापुर व उनके हमराही द्वारा मु0न0 291/018 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारंटी अभियुक्त अतहर सोनकर उर्फ राममिलन पुत्र गोविंद सोनकर निवासी लुपलाइन चौराहा कस्बा राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

2.उ0नि0श्री अजहर जमाल थाना कोतवाली कर्वी व उनके हमराही हे0का0कल्लू खां द्वारा अ0सं0 3228/17 धारा 323,504 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त 1. सूरज भान पुत्र रामदास निवासी ग्राम भैसोंधा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

3.उ0नि0श्री राहुल पांडेय थाना कोतवाली कर्वी व उनके हमराही द्वारा अ0न0698/2018 धारा 138(3) के वारंटी अभियुक्त भगवती प्रसाद गुप्ता पुत्र रामगोपाल निवासी एसडीएम कॉलोनी कर्वी को गिरफ्तार किया गया।

4.उ0नि0श्री अशोक सिंह थाना कोतवाली कर्वी व उनके हमराही द्वारा अ0सं0 367/013 धारा 457/338 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त अजय पटेल पुत्र शिवनारायण उर्फ नन्हू निवासी सोनेपुर कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

5.उ0नि0श्री अनिल कुमार गुप्ता थाना कोतवाली कर्वी व उनके हमराही द्वारा अ0सं0 907/014 धारा 63 कॉपी राइट एक्ट के वारंटी अभियुक्त गुड्डू गुप्ता पुत्र रामचंद्र गुप्ता निवासी बस स्टैंड कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

6.उ0नि0श्री रमेश सिंह थाना कोतवाली कर्वी व उनके हमराही द्वारा वारण्टी अभियुक्त बुद्धविलास पुत्र रामऔतार निवासी रानीपुर खाकी चौकी परिक्रमा मार्ग जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

7.उ0नि0श्री राहुल पांडेय थाना कोतवाली कर्वी व उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 1134/017 धारा 376(डी) 506 भादवि0 के वांछित अभियुक्त 1.शंकर प्रजापति पुत्र दुजवान प्रजापति 2.सुधीर यादव पुत्र रमेश यादव निवासीगण अहिरनपुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

8. उ0नि0श्री अंशुल कुमार थाना कोतवाली कर्वी व उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 220/024 धारा 323,308/504/506 भादवि0 के वांछित अभियुक्त 1.अर्पित श्रीवास्तव पुत्र संतोष श्रीवास्तव 2. संतोष श्रीवास्तव पुत्र स्व0 केशव प्रसाद श्रीवास्तव निवासीगण सैनिक नगर वार्ड नंबर 07 कामदगिरि हॉस्पिटल राजापुर रोड चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।9. सुरेंद्र सिंह पुत्र अमरपाल सिंह निवासी सरधुवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

9. उ0नि0 श्री मुन्नीलाल थाना सरधुवा व उनके हमराही द्वारा अ0सं0 267/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की के वारण्टी अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह पुत्र अमर पाल सिंह निवासी सुरवल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट एवं अ0सं0 104/13 धारा 379,411 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त शैलेन्द्र पुत्र वीरेन्द्र निवासी भदेदू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

10. उ0नि0श्री राजेश राय थाना सरधुवा व उनके हमराही द्वारा एनसीआर नम्बर 129/03 धारा 323,504,506 भादवि0 की वारण्टी अभियुक्ता बउराइन पत्नी माताबदल निवासी सुरसेन थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

11. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पांडेय थाना सरधुवा व उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं01358/14 धार 4/21 खनिज अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त पप्पू पुत्र सूरजभान निवासी भौरी जमपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

12. उ0नि0श्री विपिन कुमार मिश्रा थाना पहाड़ी व उमके हमराही द्वारा अ0सं0 156/01 धारा 304A भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त कमला शंकर पुत्र देवतादीन पटेल निवासी कस्बा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।